



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 जनवरी, 2020 ई0 (पौष 14, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2019 ई0

संख्या 01/प्रशा0/6(4)/उविनिआ/2019-20/1306-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, एतद्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

	1. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
	2. सदस्य (विधि), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	3. सदस्य (तकनीकी) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	4. प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	5. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	6. अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
	7. अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग	8. अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर	सदस्य
	9. प्रेसीडेन्ट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, देहरादून	सदस्य
कृषि	10. संयुक्त निदेशक (नियोजन), कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून	सदस्य
श्रम	11. उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून	सदस्य
परिवहन	12. चीफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, बडौदा हाऊस, नई दिल्ली	सदस्य

शैक्षणिक एवं अनुसंधान	{	13. विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर	सदस्य
		14. असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून	सदस्य
उपभोक्ता प्रतिनिधि	{	15. श्री एस0 पी0 सिंह राघव, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, टाईप-VI/1, यूपीसीएल ऑफिसर्स कॉलोनी, ऊर्जा भवन कॉम्प्लेक्स, कॉवली रोड, देहरादून	सदस्य
		16. श्री राजीव कुमार अग्रवाल, 32, इन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून	सदस्य
गैर सरकारी संगठन	{	17. श्री प्रकाश रावत, जय नन्दा वैलफेयर सोसाईटी (NGO), फ्लैट नं0-06, लेन नं0-9, देवत्राष्टि एनक्लेव, देहराखास, देहरादून	सदस्य

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है:-

- (i) major questions of policy;
- (ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- (iii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;
- (iv) protection of consumers interest; and
- (v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय।

आयोग की आज्ञा से,

नीरज सती,

सचिव।